



2026:AHC:39158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4820/2026

मोहरम अली

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार भट्ट, स्वदेश कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ पस्तुत रिट याचिका दायर की है :-
“1. संबंधित प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को ग्राम चौबेपुर कानलन, तहसील बिलहरे, जिला-कानपुर नगर में स्थित भूदान भूमि संख्या 10, 99, 103, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 235, 252 और 255 कुल 12 किता, क्षेत्रफल 6 बीघा 15 विश्वा से बेदखल करें।”
2. अभिलेखों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों—अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3—के विरुद्ध अनुरोध चाहता है, जो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती। इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और इसका समुचित उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है कि यदि उचित समझा जाए, तो सामान्य विधि उपचार का लाभ उठाया जा सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

20 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”